

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30.06.2009

संख्या 2/टी-26/2009 845(2) /स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डा0 राजवल्लभ सिंह	मुंगेर	शेखपुरा
2	डा0 नवीन्द्र कुमार	नालन्दा	शेखपुरा
3	डा0 निरंजन कुमार चौधरी	लखीसराय	शेखपुरा
4	डा0 अनिल कुमार सिंह	मुंगेर	शेखपुरा
5	डा0 नरेन्द्र सिन्हा	नवादा	शेखपुरा
6	डा0 रवीन्द्र प्रसाद	नवादा	शेखपुरा
7	डा0 शैलेन्द्र कुमार	पटना	शेखपुरा
8	डा0 रविशंकर शरण	वैशाली	शेखपुरा
9	डा0 रामप्रवेश प्रसाद	मुंगेर	शेखपुरा
10	डा0 निरंजन कुमार चौधरी	लखीसराय	शेखपुरा
11	डा0 राजेन्द्र कुमार सिन्हा	नवादा	शेखपुरा
12	डा0 शिवेन्द्र कुमार	लखीसराय	शेखपुरा
13	डा0 उमेश	नालन्दा	शेखपुरा
14	डा0 कैलाश प्रसाद शर्मा	जमुई	शेखपुरा
15	डा0 विरेन्द्र कुमार	बेगूसराय	शेखपुरा
16	डा0 नरेन्द्र कुमार वर्मा	नवादा	शेखपुरा
17	डा0 सूबोध प्रसाद सिंह	मुंगेर	शेखपुरा
18	डा0 इंद्रजीत प्रसाद	लखीसराय	शेखपुरा

2. सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्रि पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर देंगे ।

3. अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।

5. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक 2/टी-26/2009 845(2) /स्वा०,दिनांक 30.06.2009


प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, /अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त /सम्बन्धित जिला पदाधिकारी /सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ /सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /उप महानिरीक्षक अभियोजन बिहार,पटना /सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री /माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ /उप सचिव स्वास्थ्य /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9,एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव